उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

विद्यावारिधि (**Ph.D.**) नियमावली

यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2009 के (एम0फिल्0/पी–एच0डी0 के लिए न्यूनतम् मानक प्रक्रिया) के अनुरूप

उपाधि का नाम –

उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय की शोध उपाधि का नाम 'विद्यावारिधि' होगा, सम्बन्धित प्रमाणपत्र में पी–एच0डी0 भी लिखा जाएगा। प्रमाणपत्र में यह भी लिखा जाएगा कि यह उपाधि यूजीसी रेगुलेशन– 2009 के नियमों के अनुरूप है। उपाधि में विभाग के स्थान पर संकाय का उल्लेख होगा। शोध–विषय यथावत लिखा जाएगा।

पंजीकरण की अर्हता –

उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा विधि द्वारा स्थापित और यू0जी0सी0 से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय से मूल या संबद्ध विषय में आचार्य अथवा स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों के साथ प्राप्त की हो।

विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त ऐसी स्नातकोत्तर उपाधि भी मान्य होगी जिसे भारत में स्नातकोत्तर के समकक्ष उपाधि माना गया है।

उत्तरांचल निवासी अनुसूचित जाति–जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली शोध प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को ही शोध उपाधि के लिए पंजीकृत किया जाएगा।

परम्परागत विषयों में सामान्यतः उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने 'आचार्य' उपाधि प्राप्त की हो। ऐसे मामलों में शोध समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रवेश परीक्षा से छूट, लेकिन साक्षात्कार अनिवार्य –

- यू0जी0सी0 या सीएसआईआर की जेआरएफ–नेट अथवा नेट या सेट परीक्षा उत्तीर्ण।
- संबंधित विषय में एम0फिल्0।

प्रवेश प्रक्रिया : लिखित प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार –

विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष विद्यावारिधि उपाधि की प्रवेश प्रक्रिया को संपन्न करने के उद्देश्य से प्रवेशार्थियों के लिये लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इस परीक्षा के लिए छात्र को अपना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाएगा।

विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकेंगे, जो स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत हैं या जिन्होंने स्नातकोत्तर की अन्तिम वर्ष की परीक्षा दी हो, लेकिन उनका परिणाम प्रवेश परीक्षा के आयोजन तक घोषित नहीं हुआ है। ऐसे छात्रों के लिए विद्यावारिधि के पंजीकरण हेतु शोध समिति की तिथि के पूर्व अपनी अर्हता परीक्षा (आचार्य या स्नातकोत्तर में वांछित प्रतिशत के साथ) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा लिखित प्रवेश–परीक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पंजीकरण संभव नहीं हो सकेगा। लिखित प्रवेश–परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवेदक उसी सत्र में पञ्जीकरण करा सकेंगे। प्रवेश पाने में असफल छात्र अगले सत्र में पुनः नियमानुसार प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे।

<u>विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा का स्वरूप</u> –

प्रत्येक विभागाध्यक्ष अप्रैल–मई में अपने विभाग में रिक्त शोध स्थानों की सूचना प्रशासन को देंगे। तदानुसार सूचना प्रसारित की जायेगी। विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा प्रति शैक्षिणिक वर्ष में एक बार आयोजित होगी।

1. विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न–पत्र होगा, जो दो खण्डों में विभक्त होगा।
2. प्रश्नपत्र का प्रथम खण्ड (क) 100 अंकों का होगा, जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाषा दक्षता एवं सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित होंगे। उत्तीर्णता के लिए परीक्षार्थी को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा।

नोट :–भाषा दक्षता : परम्परागत विषयों के लिए संस्कृत और व्यावसायिक एवं आधुनिक विषयों के लिए हिन्दी भाषा।

3. प्रश्न पत्र का द्वितीय खण्ड (ख) भी 100 अंकों का होगा, जो शोधार्थी के स्नातकोत्तर विषय से सम्बन्धित होगा, इसके लिए आधार आचार्य/स्नातकोत्तर परीक्षा के पाठ्यग्रन्थ होंगे। इसमें 100 अंकों के वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा। इस खण्ड में शोध प्रविधि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विकलांग वर्ग के आवेदक 45 प्रतिशत अंकों पर साक्षात्कार के लिये अर्ह माने जायेंगे।
4. प्रश्न पत्र की भाषा संस्कृत एवं हिन्दी होगी।
5. परीक्षा समय दो घंटे होगा।
6. प्रथम खण्ड में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले परीक्षार्थी द्वितीय खण्ड में भी 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किये जायेंगे। (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विकलांग वर्ग के लिए 45 प्रतिशत)
7. प्रश्नपत्र के द्वितीय खण्ड के लिये सभी विषयों में वही पाठ्यक्रम निर्धारित होगा जो यू0जी0सी0–नेट परीक्षा के लिये निर्धारित है। एम0ए0 (संस्कृत) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए यू0जी0सी0–नेट के पाठ्यक्रम कोड–25 और परम्परागत विषयों में पाठ्यक्रम कोड–73 के आधार पर परीक्षा ली जाऐगी।

8. मेरिट का निर्धारण साक्षात्कार तथा स्नातकोत्तर उपाधि के अंक प्रतिशत के योग के आधार पर होगा। साक्षात्कार के लिये 100 अंक निर्धारित होंगे। दो आवेदकों के समान अंक होने पर ऐसे आवेदक का चयन किया जायेगा जिसका स्नातक उपाधि का अंक–प्रतिशत अधिक हो।
9. साक्षात्कार निम्न समिति द्वारा लिया जाएगा : –
    1. कुलपति – अध्यक्ष।
    2. विभागाध्यक्ष – सदस्य।
    3. सम्बद्ध विभाग के वरिष्ठ सहायक एवं सह आचार्य – सदस्य।
    4. कुलपति द्वारा मनोनीत एक विषय–विशेषज्ञ – सदस्य।
10. उपर्युक्त साक्षात्कार–समिति द्वारा अभ्यर्थी की योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जांच भी की जाएगी।

परीक्षाफल की घोषणा –

लिखित प्रवेश–परीक्षा का परिणाम पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं सूचनापट्ट पर भी लगाया जायेगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया –

1. प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी तिथि के अनुसार निर्धारित पत्र में अपनी योग्यता एवं अनुसंधेय विषयों का उल्लेख करते हुए अपना आवेदन–पत्र संबद्ध विभाग में विभागाध्यक्ष के पास जमा कराना होगा। इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि को शोधसमिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। शोध समिति द्वारा ही शोध–विषय का अन्तिम रूप से निर्धारण किया जाएगा।
2. अभ्यर्थी जिस विषय में शोध करना चाहता है, उसके विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी से सम्पर्क कर अपने विषय का चयन तथा रूपरेखा आदि का निर्माण निर्धारित निर्देशों के अनुसार करेंगे। अभ्यर्थी शोध निर्देशन एवं विषय निर्धारण के लिए सम्बद्ध विषय के विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी से ही संपर्क करेंगे।
3. आवेदन पत्र के साथ विभागाध्यक्ष तथा शोध निर्देशक की संस्तुति एवं रूपरेखा की दस प्रतियां (जिसमें अनुसन्धान के अध्ययन का अभिप्राय हो और स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित हो कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में उनका मौलिक योगदान होगा, अज्ञात सामग्री को प्रकाशित किया जायेगा अथवा पहले से ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या की जायेगी) जमा करानी होगी।
4. शोध समिति की स्वीकृति के बाद सभी शोध–शीर्षक विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

मूल विषय एवं संबद्ध विषय –

अभ्यर्थी को विद्यावारिधि उपाधि लिए साधारणतः स्नातकोत्तर में पठित विषय में ही कार्य करने की स्वीकृति दी जायेगी। विश्वविद्यालय शोध समिति की अनुमति से मूल विषयों से सम्बद्ध विषयों में शोध की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। संबंद्ध विषयों (अर्थात् सिस्टर

सब्जेक्ट) का निर्धारण विश्वविद्यालय शोध समिति द्वारा किया जायेगा। शोध समिति अन्तर्विषयी (Inter-disciplinary) शोध के लिए भी अनुमति दे सकेगी।

शोध–केन्द्र :–

सामान्यतः विश्वविद्यालय मुख्यालय के स्नातकोत्तर विभाग ही शोध–केन्द्र होंगे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कुलपति अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को भी शोध–केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेंगे।

उपस्थिति –

शोधकार्य पूर्णकालिक होगा, शोधार्थियों को संबंधित विभाग में अपने निर्देशक या सह–निर्देशक के पास नियमित उपस्थिति दर्ज करानी होगी, कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। कुलपति के स्तर से 10 प्रतिशत की छूट विशेष परिस्थिति में ही प्रदान की जा सकेगी। यदि शोधार्थी का शोध केंन्द्र विश्वविद्यालय मुख्यालय से बाहर है तो उसे संबंधित स्थान पर नियमित उपस्थित रहकर कार्य करने का प्रमाण देना होगा। यह प्रमाण शोध निर्देशक/सह–शोध निर्देशक या संबंधित केंन्द्र के अध्यक्ष अथवा प्रभारी की ओर से जारी होना चाहिए। शोधार्थी के रूप में पंजीकृत संस्कृत विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों को शोध समिति की अनुशंसा पर सांध्यकालीन उपस्थिति की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उपस्थिति की अनिवार्यता प्रारम्भिक दो वर्षों के लिए लागू होगी।

आरक्षण एवं शोधवृत्ति –

सभी विषयों में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप स्थान आरक्षित होंगे। क्षैतिज आरक्षण में आवेदक उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित सीटों को सामान्य श्रेणी को आवंटित किया जा सकेगा। मेधावी शोधार्थियों को यू0जी0सी0, एम0एच0आर0डी0 और राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप शोधवृत्ति भी प्रदान की जायेगी।

शुल्क –

विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप शुल्क जमा करना होगा। शुल्क का उल्लेख विश्वविद्यालय की शोध विवरणिका में किया जायेगा।

शोध निर्देशक –

कुलपति द्वारा अधिकृत विद्वान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापक और नियमित शोध अधिकारी अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध निर्देशन कर सकेंगे। शोध निर्देशन करने वालों की अर्हता इस प्रकार होगी।

1. सम्बन्धित विषय में शोध उपाधि/विद्यावारिधि के बाद न्यूनतम् तीन वर्षों का स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन अनुभव। यह भी आवश्यक होगा कि उन प्राध्यापकों का न्यूनतम् दो शोधपत्र मूल्यांकित पत्रिका में प्रकाशित हो।
2. व्यावसायिक एवं आधुनिक विषयों में ऐसे विशेषज्ञों को भी सह निर्देशक बनाया जा सकेगा जिन्होंने शोध उपाधि प्राप्त की हो और सम्बन्धित क्षेत्र में उन्हें न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो।

3. कोई भी शिक्षक अपने निकट सम्बन्धी (माँ–पिता, पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री, भाई–बहन, एवं उनके पाल्य) का शोध निर्देशक नहीं बन सकेगा।

शोधनिर्देशक के निर्देशन में शोधकर्ताओं की संख्या : यू0जी0सी0 के नए मानक के अनुरूप

क्र0सं0	मार्गदर्शक श्रेणी	शोध संख्या (अधिकतम)
1.	सहायक आचार्य/शोध अधिकारी	04
2.	सह–आचार्य	06
3.	आचार्य	08

- विश्वविद्यालय शोध समिति की अनुशंसा पर तथा अनुसंधान निर्देशकों के अभाव में कुलपति उपर्युक्त संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। अन्तःशास्त्रीय विषयों में आवश्यकता होने पर बाह्य सह–निर्देशक की नियुक्ति शोध निर्देशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा की जाएगी।
- जिन निर्देशकों का सेवाकाल 03 वर्ष के भीतर समाप्त हो रहा है, उनके साथ यदि आवश्यक हो तो कुलपति की स्वीकृति से सह–शोध निर्देशक की व्यवस्था की जा सकेगी।
- जिस निर्देशक के निर्देशन में शोध–छात्र का पंजीकरण होगा, वह शोध निर्देशक अन्य संस्था में नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के बाद भी शोधनिर्देशक का कार्य संपन्न कर सकेगा।
- विद्यावारिधि हेतु पंजीकरण के पश्चात् अधिकतम् एक वर्ष के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालय शोध समिति की स्वीकृति से शोध निर्देशक बदला जा सकेगा।
- ऐसे शिक्षक जो शोध निर्देशक बनाए जाने के लिए न्यूनतम् अर्हता पूरी करते हैं, लेकिन वे किसी दूसरे विषय में किसी विश्वविद्यालय से शोध या उच्च उपाधि में पंजीकृत हैं, वे भी अपने विषयों में अन्य शिक्षकों के समान शोध–निर्देशक या सह निर्देशक बनाए जा सकेंगे।

नोट :–

1. रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने अथवा वाक् परीक्षा सम्पन्न होने के दिन से सीट रिक्त मानी जायेगी।
2. रिक्त सीटों पर जनवरी–जुलाई में नया प्रवेश अनुमन्य होगा।

विश्वविद्यालय शोध समिति –

शोध प्रस्ताव का परिवीक्षण विश्वविद्यालय शोध समिति (R.D.C) द्वारा होगा, जिसका गठन निम्नरूपेण किया जायेगा :–

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	संकायाध्यक्ष (सम्बद्ध)	सदस्य
3.	विद्यापरिषद् का एक प्रतिनिधि	सदस्य
4.	सम्बन्धित विभाग का वरिष्ठ आचार्य	सदस्य
5.	सम्बन्धित विभाग का वरिष्ठ सह/सहायक आचार्य	सदस्य

6. अध्यक्ष, शोध विभाग/शोध अधिकारी सदस्य
7. कुलपति द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ विद्वान् (इनमें से एक विद्वान प्रदेश से बाहर का होगा) सदस्य
8. सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष/प्रभारी सदस्य–सचिव

कुलपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति शोध समिति (R.D.C.) की बैठक की अध्यक्षता कर सकेगा। शोध समिति की बैठक सामान्यतः प्रति छः माह पर होगी, लेकिन कुलपति को आवश्यकतानुसार बैठक बुलाने का अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर शोध समिति सम्बन्धित शोध निर्देशक को भी परामर्श के लिए आमंत्रित कर सकेगी। शोध समिति जांच करेगी कि –

- ✓ शोध के लिए प्रस्तावित विषय और कार्ययोजना शोध के अनुरूप है या नहीं।
- ✓ यदि शोध–विषय अनुरूप नहीं है तो शोध समिति को विषय संशोधन करने अथवा उससे निरस्त करने का अधिकार होगा।

<u>विद्यावारिधि–एकसत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स–वर्क)</u> –

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (न्यूनतम मानक व प्रक्रिया विनियम–2009) के अनुसार शोधविभाग सभी शोध छात्रों के लिए एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष जुलाई से दिसम्बर तथा जनवरी से जून तक आयोजित करेगा। इसके अन्तर्गत निम्न विषयों का अध्ययन होगा :–

- ✓ शोध–सर्वेक्षण एवं ग्रन्थ–समीक्षा
- ✓ संगणक (कम्प्यूटर) परिचय
- ✓ शोधप्रविधि
- ✓ निर्धारित कार्य एवं प्रस्तुति (प्रोजेक्ट एण्ड प्रजेंटेशन) (स्नातकोत्तर के विशेषज्ञता विषय पर आधारित)

<u>नोट</u> :– सत्रीय पाठ्यक्रम की पढ़ायी पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष जून एवं दिसम्बर में परीक्षा आयोजित की जायेगी।

<u>विशेष</u> –

- ✓ एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए दो अवसर प्रदान किये जाएंगे।
- ✓ परीक्षा का स्वरूप एवं उत्तीर्णता के नियम परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।
- ✓ एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट अलग से प्रदान किया जाएगा।
- ✓ एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर ही शोध ग्रन्थ लिखने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित विषय में एम0फिल्0 अथवा सम्बद्ध विषय (सिस्टर–सब्जेक्ट) में पी–एच0डी0 उपाधि प्राप्त आवेदकों को एकसत्रीय पाठ्यक्रम से छूट देने पर विश्वविद्यालय शोध–समिति विचार कर सकेगी। (According to Clause 7.8 (c))

- ✓ उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों के लिए इस पाठ्यक्रम की कक्षाएं दीर्घ–अवकाश के दिनों में संचालित की जाएंगी। इन सभी के लिए भी एक सत्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी।
- ✓ कोर्स–वर्क की कक्षाएं सामान्यतः विश्वविद्यालय स्तर पर एकीकृत रूप से संचालित की जाएंगी। आवश्यकतानुसार सुसंगत विषयों के समूह बनाकर भी कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।

शोध पत्र की अनिवार्यता :

- ✓ यह अनिवार्य होगा कि शोध के दौरान शोधार्थी अपने शोध विषय पर कम से कम एक शोध पत्र किसी प्रतिष्ठित शोध पत्रिका या जर्नल में प्रकाशित कराए और सम्बन्धित विषय को राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम एक शोध संगोष्ठी में प्रतिभाग करे।
- ✓ शोधार्थी को प्रत्येक तीन माह पर प्रगति विवरण शोध विभाग में जमा कराना होगा। निरन्तर तीन त्रैमासिक प्रगति विवरण जमा न करने पर शोध पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। ऐसे मामलों में विशिष्ट एवं आपात परिस्थितियों के दृष्टिगत कुलपति द्वारा रियायत प्रदान की जा सकेगी।

शोध–प्रबन्ध की प्रस्तुति –

परम्परागत विषयों में शोध–प्रबन्ध की भाषा सामान्यतः संस्कृत होगी, व्यावसायिक एवं आधुनिक विषयों में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भी शोधप्रबन्ध जमा किए जा सकेंगे। शोध समिति शोधार्थी के विशेष अनुरोध पर शोध प्रबन्ध की भाषा को परिवर्तित करने की अनुमति दे सकेगी। पञ्जीकरण के न्यूनतम 24 माह पश्चात् (विशिष्ट मामलों में कुलपति की अनुमति के आधार पर 18 माह बाद) शोधार्थी शोध–प्रबन्ध के शोधसार की प्रस्तुति (प्रजेंटेशन) के लिए अपने शोध केन्द्र अध्यक्ष को शोधनिर्देशक की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र देगा। इसी क्रम में अध्यक्ष निश्चित तिथि को एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, इस संगोष्ठी में शोधसार की समीक्षा के पश्चात् शोधप्रबन्ध जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

शोध प्रबन्ध पूर्ण होने के उपरान्त शोधार्थी को शोध प्रबन्ध एवं संक्षेपिका की पांच टंकित प्रतियां तथा दो सीडी शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की संस्तुति के साथ शोध विभाग में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होंगी। इनमें से एक सीडी शोध विभाग द्वारा एक महीने के भीतर यू0जी0सी0 को भेजी जाएगी। शोध प्रबन्ध का कलेवर सामान्यतः 200 पृष्ठों का होना अनिवार्य होगा। उपाधि प्रदान की जाने के बाद शोध ग्रन्थ की एक प्रति लाइब्रेरी एवं एक प्रति सम्बन्धित विभाग को प्रदान की जाएगी।

मौलिकता प्रमाणपत्र –

यह आवश्यक होगा कि शोध समिति के द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार ही शोधप्रबन्ध प्रस्तुत किया जाए। सामान्यतः शोध समिति द्वारा स्वीकृत शोध प्रारूप के अनुरूप ही शोधार्थी को शोधप्रबन्ध तैयार करना चाहिए। यदि प्रारूप में परिवर्तन किया गया है तो शोध निर्देशक द्वारा कारण सहित विवरण दिया जाना चाहिए। शोधनिर्देशक शोधप्रबन्ध को प्रमाणित करते हुए यह उल्लेख करेंगे कि यह शोधप्रबन्ध शोधार्थी का मौलिक कार्य है और शोधार्थी ने नियमानुसार आवश्यक अवधि तक, उनके निर्देशकत्व में शोध कार्य किया है।

परीक्षकों की नियुक्ति –

शोध–प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों की प्रारम्भिक सूची का निर्माण निर्देशक, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की एक समिति द्वारा किया जाएगा। निर्धारित प्रपत्र पर समिति द्वारा प्रस्तावित 6 नामों में से दो की कुलपति द्वारा स्वीकृति की जायेगी। कुलपति अपने विवेक से एक कोई अतिरिक्त नाम इस सूची में सामिल करेंगे। कुल तीन नामों को अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।

शोधप्रबन्ध का परीक्षण –

1. निर्धारित शुल्क सहित शोध प्रबन्ध प्राप्त होने पर उसे दो परीक्षकों के पास भेजा जायेगा। प्रत्येक परीक्षक अपना प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करेंगे। प्रत्येक परीक्षक शोध प्रबन्ध की विशेषताओं के लिए अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी के अतिरिक्त यह स्पष्टरूपेण प्रकट करेगा कि –

(i) शोध प्रबन्ध विद्यावारिधि की उपाधि हेतु सर्वथा योग्य है।

अथवा

–शोध प्रबन्ध अस्वीकृत किया जाता है।

अथवा

–संशोधन की संस्तुति की जाती है।

(ii) शोध प्रबन्ध के प्रकाशन की संस्तुति की जाती है।

अथवा

–शोध प्रबन्ध के प्रकाशन की संस्तुति नहीं दी जा सकती है।

2. यदि दोनों परीक्षक शोध–प्रबन्ध के संशोधन का निर्णय देते हैं तो शोधार्थी को शोध–प्रबन्ध में संशोधन के उपरान्त पुनः प्रस्तुत करना होगा।
3. यदि केवल एक परीक्षक शोध प्रबन्ध को स्वीकृति देता है तथा दूसरा परीक्षक अस्वीकृत करता है तो ऐसी स्थिति में शोध प्रबन्ध मूल्यांकन के लिए तृतीय परीक्षक की नियुक्ति कुलपति द्वारा होगी। यह परीक्षक पूर्व प्रस्तावित सूची में से होगा। तीसरे परीक्षक द्वारा अनुकूल स्वीकृति देने पर शोध प्रबन्ध स्वीकृत माना जायेगा। यदि तृतीय परीक्षक संशोधन के लिए कहता है तो शोध प्रबन्ध संशोधन के लिए भेजा जाएगा। इस प्रकार तीन परीक्षकों में से दो परीक्षकों का निर्णय समान होने पर वही निर्णय ग्राह्य होगा। संशोधन की संस्तुति करते समय यह आवश्यक होगा कि परीक्षक संशोधन के लिए अभ्यर्थी के लिए संशोधनीय अंशों का स्पष्ट निर्देश और तथ्यों का उल्लेख करें। अभ्यर्थी को निर्णय की सूचना की तिथि से अधिकतम् एक वर्ष के भीतर परीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शोध प्रबन्ध का संशोधन करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। संशोधित शोध प्रबन्ध पुनः उन्हीं परीक्षकों के पास भेजा जायेगा।
4. तीन परीक्षकों के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित रूप से परिणाम घोषित किया जायेगा–

✓ परीक्षक 'क' द्वारा स्वीकृत, परीक्षक 'ख' द्वारा अस्वीकृत तथा 'ग' द्वारा स्वीकृत होने पर शोध–प्रबन्ध स्वीकृत माना जाएगा।

- ✓ परीक्षक 'क' द्वारा स्वीकृत परीक्षक 'ख' द्वारा संशोधन के लिए स्वीकृत तथा परीक्षक 'ग' द्वारा भी संशोधन के लिए स्वीकृत होने पर संशोधन हेतु शोध प्रबन्ध शोधार्थी को भेजा जायेगा।
- ✓ परीक्षक 'क' द्वारा स्वीकृत, परीक्षक 'ख' द्वारा संशोधन के लिए संस्तुत तथा परीक्षक 'ग' द्वारा अस्वीकृत शोधप्रबन्ध संशोधन के लिए शोधार्थी को भेजा जायेगा।
- ✓ परीक्षक 'क' द्वारा अस्वीकृत के लिए संस्तुत, परीक्षक 'ख' संशोधन के लिए संस्तुत, तथा परीक्षक 'ग' द्वारा भी अस्वीकृत के लिए संस्तुत होने पर शोधप्रबन्ध अस्वीकृत माना जायेगा।
- ✓ प्रत्येक परीक्षक को तीन महीने के अन्दर मूल्यांकन रिपोर्ट देनी होगी। तीन माह में रिपोर्ट न देने पर परीक्षकत्व स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। ऐसी स्थिति में नए परीक्षक के पास शोधप्रबन्ध को भेजा जायेगा। यह परीक्षक उन छह परीक्षकों की सूची में से होगा, जो समिति द्वारा संस्तुत की गई है।

<u>मौखिकी या वाक् परीक्षा</u> –

यदि परीक्षक संस्तुति करते हैं कि शोध प्रबन्ध स्वीकार्य है तो शोधार्थी को वाक् परीक्षा के लिए साक्षात्कार मंडल (बोर्ड) के समक्ष उपस्थित होना होगा। मंडल में दो परीक्षक होंगे, जिनमें एक शोध निर्देशक और दूसरा बाह्य परीक्षकों में से कुलपति द्वारा नामित परीक्षक, जिसने शोध प्रबन्ध को स्वीकार करने की संस्तुति की हो। वाक्–परीक्षा के समय विभाग शोध–प्रबन्ध के पूर्व प्रतिवेदन के रूप में शोध का विवरण तथा निर्णय साक्षात्कार मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वाक्–परीक्षा के समय विवि के अन्य अध्यापक तथा शोध–छात्र भी उपस्थित रहकर वाक्–परीक्षा सुन सकते हैं, किन्तु उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। वाक्–परीक्षा परीक्षकों की रिपोर्ट आने के तीन महीने के भीतर संपन्न करानी होगी। शोध प्रबन्ध जमा कराने से वाक् परीक्षा संपन्न कराने तक के कार्य छह महीने में पूरे किए जायेंगे। यदि किसी प्रकरण में दोनों वाक् परीक्षक असन्तुष्ट हैं तो अभ्यर्थी को अधिकतम् 6 माह के भीतर पुनः वाक् परीक्षा के लिए उपस्थित होना अपेक्षित होगा। यदि अभ्यर्थी द्वितीय बार भी वाक् परीक्षकों को सन्तुष्ट नहीं कर सका तो शोध प्रबन्ध अस्वीकृत माना जाएगा, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय विद्या–परिषद् द्वारा लिया जाएगा। विद्या–परिषद् को सम्बन्धित शोधार्थी को वाक् परीक्षा का एक और अवसर देने का अधिकार होगा।

1 वाक्–परीक्षा का स्थान विश्वविद्यालय मुख्यालय होगा, किन्तु किसी विशिष्ट प्रकरण में कुलपति वाक्–परीक्षा के लिए अन्य स्थान की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
2 कोई भी अभ्यर्थी अपने शोध प्रबन्ध को एक बार से अधिक संशोधित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
3 वाक्–परीक्षा के अनन्तर यदि वाक् परीक्षक भी अनुसन्धान उपाधि प्रदान करने के लिए संस्तुति करते हैं तो सभी संस्तुतियां कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।
4 कुलपति अस्थायी रूप से शोधार्थी को विद्यावारिधि के योग्य घोषित करेंगे।

साक्षात्कार बोर्ड द्वारा परीक्षार्थी को ''विद्यावारिधि–उपाधि–योग्य'' संस्तुति करने के पश्चात् कुलसचिव एक अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। विद्यावारिधि उपाधि हेतु, शोध–प्रबन्ध का परीक्षण करने वाले विद्वानों तथा वाक्–परीक्षा के लिए आमन्त्रित विद्वान को विश्वविद्यालय के नियमानुसार, मार्ग व्यय एवं मानदेय आदि प्रदान किया जायेगा।

परीक्षक की योग्यता –

शोध–प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु परीक्षकों की निम्नलिखित योग्यताएं अपेक्षित हैं –

विद्यावारिधि/पी–एच0डी0 या समकक्ष शोध–उपाधि के पश्चात् सम्बन्धित विषय में न्यूनतम् 05 वर्षों का अध्यापन अथवा अनुसन्धान कार्य का अनुभव।

निष्क्रमणनप्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)

अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों को पंजीकरण से पूर्व अथवा अधिकतम् छः माह के भीतर निष्क्रमण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त हो जायेगा। किन्तु कुलपति इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं।

अनुसन्धान–काल एवं पुनः पंजीकरण –

शोध–प्रबन्ध जमा करने की अधिकतम अवधि पंजीकरण की तिथि 48 माह (04 वर्ष) की होगी। इसके पश्चात् शोध–कार्य की पूर्णता हेतु शोधछात्र निर्धारित शुल्क के साथ अधिक से अधिक 12 माह के लिए पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा। पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन–पत्र में शोध–निर्देशक तथा विभागाध्यक्ष संकायाध्यक्ष द्वारा विलम्ब के कारणों की उल्लेखपूर्वक संस्तुति आवश्यक होगी। पांच वर्ष की सीमा समाप्त होने के पश्चात् आवश्यकता होने पर शोध निर्देशक तथा विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर विश्वविद्यालय शोध समिति द्वारा समय परिवर्धन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में शोधार्थी को अधिकतम छः माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। इस सभी विषयों में कुलपति का निर्णय सर्वोपरि होगा।

पंजीकरण के छह माह के अन्दर शोधकर्ता अपने विषय/शोध प्रारूप में परिवर्तन/परिवर्धन/संक्षेपण हेतु शोध निर्देशक के माध्यम से विभागाध्यक्ष की अनुशंसा के साथ विश्वविद्यालय शोध समिति को आवेदन कर सकता है, इस बारे में शोध समिति का निर्णय अंतिम होगा।

शोध प्रबन्ध के लिए अपेक्षाएं –

- ✓ यह एक ऐसा गुण–दोष विवेचित विशिष्ट कार्य होना चाहिए, जिसमें या तो नवीन तथ्यों का अनुसन्धान हो अथवा सैद्धान्तिक तथ्यों की नवीन व्यख्या की गयी हो। उपर्युक्त दोनों बातों में आलोचनात्मक परीक्षण और दृढ़ निर्णय अनुसन्धाता की क्षमता का स्पष्ट सूचक माने जायेंगे।
- ✓ भाषा और विषय प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से भी शोध प्रबन्ध सन्तोषजनक होना चाहिए। भाषा तथा शैली साहित्यिक होनी चाहिए।

शीर्षक का निर्धारण (शोध समस्या का निर्धारण)–

अप्रकाशित हस्तलेखों के संपादन/समीक्षा विषयक शोध विषय लेने पर शोधार्थी को 'शोध प्रक्रिया विज्ञान' के प्रशिक्षण शिविर में प्राप्त ज्ञान के अनुकूल मानदण्डों पर कार्य करना होगा।

संबद्ध समस्याओं का निराकरण भी इन प्रशिक्षण शिविरों में किया जा सकता है। ये शिविर एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे।

जो शोधार्थी स्वतन्त्र विषय पर कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा सामान्यतः में अति-विस्तृत आयाम वाले शीर्षक नहीं अपनाये जाने चाहिए। शोध-शीर्षक इस प्रकार होने चाहिए कि शोधकर्ता अपने शोध विषय के कुछ विशिष्ट बिन्दुओं एवं समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन करके किन्हीं स्पष्ट निर्णयों तक पहुंच सके।

शोधशीर्षक के चुनाव का औचित्य :-

शोध छात्र को चाहिये कि वह शोध प्रारूप में शोध शीर्षक के निर्धारण के विषय में विस्तारपूर्वक औचित्य प्रतिपादन करें। शीर्षक में अति या लघु व्याप्ति न हो।

शोध विषय की प्रासंगिकता तथा महत्व :-

इस शोध के माध्यम से विषय से संबद्ध ज्ञान के क्षेत्र में, किस प्रकार की वृद्धि हो सकती है और किन मौलिक विचारों की उद्भावना संभव हो सकती है, इन बिन्दुओं का प्रतिपादन होना आवश्यक है। जहां संभव हो, विषय के वैज्ञानिक तथा सामाजिक महत्व का प्रतिपादन भी होना चाहिए। संभावित उपसंहार का उल्लेख भी किया जाना उचित होगा।

उस विषय पर किये जा चुके अध्ययनों का उल्लेख :-

अपने शोध-निर्देशक की सहायता से शोधार्थी, उस विषय तथा उसके संबंधित पक्षों के विषय में हुए अध्ययनों की सामान्य रूप-रेखा प्रस्तुत करेंगे। इस सामान्य निरीक्षण के अन्तर्गत विषय से संबंधित जिन समस्याओं का अध्ययन हो चुका है, जिन पर अध्ययन नहीं हुआ है तथा जिन पक्षों पर अध्ययन किया जाना अपेक्षित है आदि सभी का उल्लेख होना चाहिए। यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि विषय से संबंधित अध्ययनों में जो निगमन दिखाये गये हैं, वे अपूर्ण हैं तथा शोधार्थी को स्वीकार नहीं हैं, अतः शोधार्थी उन पक्षों पर नई व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता है या अधिक तर्कसम्मत निर्णय प्रस्तुत करना चाहता है।

शोध का आयाम :-

विषय के वर्तमान अध्ययनों तथा विषय की प्रासंगिकता के आलोक में शोधार्थी को संभावित उपसंहार का प्रस्ताव करना चाहिए जिसे वह अपने अध्ययन के माध्यम से प्रस्तुत कराना चाहता है। यह संभव है कि उसकी दृष्टि इस संबंध में मात्र संभावना तक सीमित हो, यह भी संभव है कि शोध काल के प्रारूप में प्रदर्शित निर्णयों में शोधार्थी मौलिक परिवर्तन करें। तथापि यह उचित होगा कि अपनी प्राक् अवधारणाओं को शोधार्थी स्पष्टता से प्रस्तुत करें। शोध कार्य का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि शोध छात्र किसी भी विषय पर सही तथा वैज्ञानिक रीति से अनुसन्धान करने तथा तर्कसम्मत निर्णय प्रस्तुत करने की योग्यता अपने अन्दर उत्पन्न कर सके।

शोध प्रबन्ध की संरचना :-

शोध प्रबन्ध के संभावित अध्यायों को प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। शोध पूर्ण होने पर उन अध्यायों में परिवर्तन आदि की संभावना भी स्वीकार्य हो सकती है। सामान्यतः अध्यायों का प्रारूप पूर्वकथित महत्व, आयाम, प्रासंगिकता तथा संभावित उपसंहार के

आधार पर निर्मित होना चाहिए। अध्यायों के विभाजन में क्रमिकता का ध्यान रखना आवश्यक है। यह क्रमिकता विचारों की प्रस्तुति के क्रम पर भी आधारित हो सकती है।
प्रत्येक अध्याय के संभावित बिन्दुओं को अवश्य लिखा जाना चाहिए, जिससे प्रारूप स्पष्ट हो सके। इसी प्रकार संभावित निर्णयों को बिन्दुशः प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा ना प्रतीत हो कि शोध–सार प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>सन्दर्भ सूची</u> :–

शोध प्रारूप में सम्बन्धित विषय के प्रमुख ग्रन्थों की एवं प्रमुख शोध लेखों की सूची समुचित रीति से प्रस्तुत की जानी चाहिए। जिसमें प्रकाशन/लेखक/सम्पादक, प्रकाशन स्थान एवं प्रकाशन वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो। सन्दर्भ हमेशा प्रथम या मूल स्रोत से ही लिए जाएं।

<u>शोध प्रबन्ध का आन्तरिक स्वरूप</u> :–

1 प्रथम पृष्ठ।
2 शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र।
3 शोधार्थी का घोषणा पत्र।
4 अनुक्रमणिका।
5 (क) भूमिका/प्रस्तावना।
  (ख) आभार।
6 अध्याय (क्रमानुसार)।
7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची।
8 परिशिष्ट।

(प्रो0 महावीर अग्रवाल)
कुलपति